RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

रेफरेन्स आवेदन पत्र सं. 01 / 2025

प्रार्थीगण–

1. श्री बुनाराम पुत्र हीराराम जाति मेघवाल, निवासी मेघवालों का वास, ग्राम मवड़ी, तहसील, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स–

1. श्री हटसिंह पुत्र खीमसिंह
2. श्री अर्जुनसिंह पुत्र खीमसिंह
3. श्री महेन्द्रसिंह पुत्र खीमसिंह जातियान राजपूत, निवासीयान ग्राम मवड़ी, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।
4. श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सिवाना।

रेफरेन्स आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय डिक्री दिनांक 26.11.1974 जो सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा द्वारा मुकदमा नंबर 97 / 1974 खिमसिंह बनाम मिसरिया के विरूद्ध पारित की गई।

उपस्थिति :–

1. श्री छत्रकरण भाटी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री करणसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 01 से 03 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 4 प्रफॉर्मा पक्षकार।

आदेश

दिनांक : 18.02.2026

1. प्रार्थी की ओर से उक्त रेफरेन्स आवेदन पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा द्वारा मुकदमा संख्या 97 / 1974 अनवान खीमसिंह बनाम मिसरिया में पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 26.11.1974 को विधिविरूद्ध होने से निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस आवेदन पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा मवड़ी, तहसील सिवाना के खसरा नंबर 352 / 1 रकबा 19.13 बीघा भूमि (वर्तमान मे नया खसरा 265 राजस्व ग्राम निम्बेश्वर) वक्त पर्चा लगान मिसरीया पुत्र पनिया कौम मेघवाल खातेदारान के नाम दर्ज हुई थी। अप्रार्थीगण के पिता खीमसिंह

जिला कलक्टर
बालोतरा

द्वारा उक्त भूमि अपनी खुद काश्त होना उल्लेखित कर उक्त भूमि खातेदारी में घोषित करने व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा के समक्ष प्रस्तुत किया। सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा द्वारा प्रस्तुत वाद में सुनवाई उपरान्त विवादित भूमि वादी खीमसिंह की खातेदारी में घोषित करते हुए स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई तथा राजस्व वाद संख्या 97/1974 में निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.1974 को पारित कर अप्रार्थीगण के पिता खीमसिंह के नाम खातेदारी घोषित की गई। प्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री को विधिविरूद्ध मानते हुए रकबा राज करने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 के तहत यह रेफरेंस प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अग्रेषित किये जाने का निवेदन किया है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का समग्र रूप से परीक्षण किया गया।

4. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया कि विवादित भूमि वक्त सेटलमेंट खसरा नंबर 352/1 रकबा 19.13 बीघा भूमि ग्राम देवन्दी मे कभी अवस्थित नही रही, जबकि उक्त भूमि ग्राम मवडी मे अवस्थित रही। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.1974 बमुकदमा सं. 97/1974 खीमसिंह बनाम मिसरिया पूर्ण रूप से विधि सम्मत रूप से अंतिम हो चुका है। उक्त वाद में स्वयं मसरिया पुत्र पनिया द्वारा अपने जवाब दावा में खीमसिंह का उक्त भूमि में कब्जा होना बताया गया है। साथ ही उक्त आदेश पारित हुए करीब 50 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् अब प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है और न ही रेफरेंस किये जाने योग्य है। उक्त भूमि कभी भी अनुचित जाति की नहीं रहीं है। प्रार्थी का यह आवेदन पद धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते रेफरेंस करने विधि एवं सिद्धान्तः पोषणीय नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को नाहक परेशान करने, खर्चे से जेरबार करने की नियत से यह आवेदन पत्र पेश किया है जो मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

5. प्रार्थी ओर से अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रकट किया कि वक्त सेटलमेंट खसरा नंबर 352/1 की भूमि राजस्व ग्राम देवन्दी की सरहद में स्थित रही है, तत्पश्चात उक्त भूमि के नये खसरा नंबर 508/352 ग्राम मवड़ी में दर्ज इन्द्राज हुए व वर्तमान में उक्त भूमि के नये खसरा नंबर 265 होकर राजस्व ग्राम निम्बेश्वर की

जिला कलक्टर
बालोतरा

सरहद में स्थित है। खसरा नंबर 352/1 का पर्चा लगान मिसरिया पुत्र पनिया, जाति भांबी (मेघवाल) के नाम से जारी हुआ व खसरा नंबर 352/1 की भूमि बाबत मिसरिया पुत्र पनिया को खातेदारी हक अधिकार प्राप्त रहे है। सन् 1974 में अप्रार्थीगण के पिता खींमसिंह पुत्र लालसिंह ने न्यायालय सहायक कलेक्टर, बालोतरा के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 97/1974 वाद बाबत घोषणा खातेदारी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 352/1 की भूमि पर बरवक्त सेटलमेंट मात्र 2 साल के लिए काश्त करने के लिए मिसरिया पुत्र पनिया हालो रहा था, जिस कारण वक्त सेटलमेंट मिसरिया पुत्र पनिया का नाम पर्चा लगान में आ गया। मगर मिसरिया उक्त खेत पर खुद काश्त के नाते कभी काबिज नहीं रहा है। मिसरिया द्वारा राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करवाने से इंकार करने पर खीमसिंह पुत्र लालसिंह द्वारा सन् 1974 में उक्त राजस्व वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण उत्पन्न होना दर्शित किया गया। तत्पश्चात उक्त वाद में मिसरिया पुत्र पनिया की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर खीमसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकृत कर उक्त वादग्रस्त खसरा नंबर 352/1 रकबा 19.13 बीघा भूमि खीमसिंह के नाम दर्ज करने बाबत कोई आपति नहीं होना बताया गया है। न्यायालय सहायक कलेक्टर, बालोतरा द्वारा उक्त अनुसार खीमसिह का वाद स्वीकार कर निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.1974 पारित कर प्रतिवादीगण के पिता खीमसिंहजी का नाम राजस्व रेकर्ड में उक्त वादग्रस्त भूमि में दर्ज करने का आदेश जारी किया गया व खातेदार टिनेन्ट घोषित कर खीमसिंह के पक्ष में डिक्री पारित की गई। उपरोक्त वाद संख्या 97/1974 में वादी (अप्रार्थीगण के पिता खीमसिंह) सामान्य जाति से है व प्रतिवादी मिसरिया पुत्र पनिया अनुसूचित जाति का सदस्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि स्वर्ण जाति के व्यक्तियों को बेचान, दान, वसीयत इत्यादि द्वारा हस्तान्तरित नहीं की जा सकती हैं और ना ही न्यायालय द्वारा उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध डिक्री पारित कर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों को खातेदार घोषित किया जा सकता है। उक्त डिक्री दिनाक 26.11.1974 के अनुसार खसरा नंबर 352/1 की भूमि अकेले खीमसिंह के नाम दर्ज इन्द्राज नहीं कर खीमसिंह के भाईयो के नाम भी राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर नामान्तकरण संख्या 227 दिनांक 18.03.1975 को ग्राम पंचायत देवन्दी द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वज खीमसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत के पक्ष में जारी डिक्री प्रारम्भ से ही शून्य होने से उक्त डिक्री को निरस्त करने हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेंस करना आवश्यक, उचित एवं न्यायसंगत है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

6. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि वक्त सेटलमेंट खसरा नंबर 352/1 की भूमि राजस्व ग्राम देवन्दी की सरहद में स्थित रही है, तत्पश्चात उक्त भूमि के नये खसरा नंबर 508/352 ग्राम मवड़ी में दर्ज इन्द्राज हुए व वर्तमान में उक्त भूमि के नये खसरा नंबर 265 होकर राजस्व ग्राम निम्बेश्वर की सरहद में स्थित है व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का नाम खातेदारी में दर्ज इन्द्राज है। आलौच्य निर्णय व डिक्री राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (ख) के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है तथा इस हेतु मयाद की बाधा नहीं है और न ही प्रार्थना पत्र धारा 232 में कोई समय सीमा का उपबधं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (ख) के प्रावधानों का उंल्घन होता है तो तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 232 के तहत रेफरेंस प्रस्तुत करना होता है। तहसीलदार द्वारा रेफरेंस प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कथन किया वाद संख्या 97/1974 में प्रतिवादी मिसरिया पुत्र पनिया जाति भांबी ने अपने जवाब में उक्त भूमि खीमसिंह के नाम होना कथन किया है। इस संबंध में मिसरिया पुत्र पनिया अनुसुचित जाति की श्रेणी का सदस्य था एवं खीमसिंह राजपूत होने से राजपूती राठौड़ी होने से मिसरिया पुत्र पनिया को दवाब में आकर बयान दिया होगा। साथ ही अप्रार्थीगण के पिता खीमसिंह द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 1974 में वाद प्रस्तुत किया गया तथा अपना कब्जा होने से संबंधित गिरदावरी की नकल, लगान अदा करने की रसीद एवं उक्त खसरे की भूमि पर कब्जा होने से संबंधित कोई मौका कब्जे की रिपोर्ट पेश नहीं की गई। मिसरिया पुत्र पनिया के नाम वक्त बंदोबस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज होकर पर्चा लगान जारी हुआ एवं खतोनी बंदोबस्त में बतौर खातेदार दर्ज हुए है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा बिना किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य के महज खीमसिंह व मिसरिया के कथनो अनुसार खीमसिंह को खातेदार घोषित किये जाने का आदेश पारित किया है व न्यायालय के समक्ष खीमसिंह द्वारा राजस्व रेकर्ड में त्रुटि होने बाबत किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। इस पर गौर किये बिना ही न्यायालय द्वारा धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो को दरकिनार कर मिसरिया पुत्र पनिया यानि अनुसुचित जाति के खातेदारी की भूमि का खातेदार खीमसिंह पुत्र लालसिंह, जाति राजपूत को घोषित कर भारी कानूनी भूल कारित की है, जो निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.1974 प्रारम्भ से ही शुन्य है। इस प्रकार अधीनस्थ राजस्व न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा द्वारा विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण के पिता को मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी प्रदान की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से अप्रार्थीगण के पिता के दबाव कराया गया

जिला कलक्टर
बालोतरा

जवाब एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि को खातेदारी में दर्ज करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जिसे निरस्त करने व रकबा राज करने हेतु यह प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किये जाने का आदेश फरमावे।

7. अप्रार्थीगण ओर से अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रकट किया कि वक्त सेटलमेंट खसरा नंबर 352/1 रकबा 19.13 बीघा भूमि ग्राम देवन्दी मे कभी अवस्थित नही रही, जबकि उक्त भूमि ग्राम मवडी मे अवस्थित रही। प्रार्थी को उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डी ही नहीं है। प्रार्थी द्वारा गलत रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। खसरा नंबर 352/1 का वक्त सेटलमेंट पर्चा लगान मिसरिया पुत्र पनिया जाति भांबी के नाम से सेटलमेंट अधिकारीयो ने गलत रुप से जारी किया था, जबकि उक्त विवादित आराजी पर मिसरिया पुत्र पनिया का कभी भी कब्जा कास्त नहीं रहा, न ही मिसरिया पुत्र पनिया को कभी उक्त भूमि पर कब्जे कास्त के अभाव मे खातेदारी हक अधिकार प्राप्त रहे। केवल मात्र सेटलमेंट के वक्त उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे मिसरिया पुत्र पनिया का नाम गलती से दर्ज होने पर तत्समय उक्त भूमि के कब्जा कास्त में रहे वास्तविक खातेदार एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के हक पूर्वाधिकारी खीमसिंह पुत्र लालसिंह ने उक्त त्रुटिवश हुए इन्द्राज के कारण विवादित आराजी खेत खसरा नंबर 352/1 रकबा 19.13 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु एक वाद पत्र बाबत अधिकारो की घोषणा का राजस्व वाद श्रीमान सहायक कलेक्टर बालोतरा के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त वाद में तत्समय राजस्व रेकर्ड में दर्ज खाताधारक मिसरिया पुत्र पनिया द्वारा भी सेटलमेंट अधिकारीयो द्वारा किये गये त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को स्वीकार करते हुए तत्समय वादी खीमसिंह पुत्र लालसिंह के पक्ष में अपना जवाब भी प्रस्तुत किया गया एवं वादी द्वारा सक्षम साक्ष्य से अपना वाद साबित करने पर तत्समय सहायक कलेक्टर बालोतरा द्वारा उक्त वाद को वादी खीमसिंह पुत्र लालसिंह के पक्ष में निर्णित एवं डिकी करते हुए विवादित आराजी खसरा संख्या 352/1 रकबा 19.13 बीघा भूमि का वादी खीमसिंह को खातेदार घोषित किया एवं विवादित आराजी का राजस्व रेकर्ड मे वादी खीमसिंह के नाम इन्द्राज करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश की पालना मे सबंधित राजस्व अधिकारीयो ने गलत रुप से वादी खीमसिंह के अलावा उनके भाई व काकाई भाईयो के नाम भी राजस्व रेकर्ड मे अंकित कर दिये थे। जिस पर तत्समय वादी के विधिक वारिसान द्वारा उक्त नामान्तकरण को चूनौति देते हुए नामान्तकरण संख्या 227 दिनांक 18.03.1975 के विरूद्ध एक नामान्तकरण अपील अंतर्गत धारा

जिला कलक्टर
बालोतरा

75 आर एल आर की उपखण्ड अधिकारी सिवाना के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो अपील संख्या 12/2021 दर्ज कर दोनो पक्षो की सुनवाई कर न्यायालय द्वारा दिनांक 05.10.2021 को उक्त नामान्तकरण संख्या 227 को निरस्त कर श्री सहायक कलेक्टर कोर्ट बालोतरा द्वारा वाद सं. 97/1974 मे जारी डिकी दिनांक 26.11.1974 की पालना मे खेत खसरा संख्या 352/1 रकबा 19.13 बीघा भूमि जो तत्समय मे नया खसरा नंबर 508/352 रकबा 3.1808 हैक्टेयर सरहद मौजा निम्बेश्वर मवडी मे खीमसिंह के विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण खोलने का आदेश तहसीलदार सिवाना व पटवार हल्का मवडी को दिया गया। प्रकरण संख्या 12/2021 में पारित आदेश दिनांक 05.10.2021 के विरूद्ध तत्समय रहे रेस्पोडेंट द्वारा उक्त आदेश को न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर मे चूनौति दी गयी, जिस पर न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा उनके निर्णय दिनांक 26.03.2024 मे उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के क्रम में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 227 को निरस्त कर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि नामान्तकरण संख्या 227 में दर्ज सभी हितबद्ध व्यक्तियो एवं अपील मे संस्थित पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर देने के उपरांत विधि अनुरुप पुनः नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। जिस पर हस्तगत प्रकरण के अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे एक निगरानी उक्त आदेश को चूनौति देते हुए प्रस्तुत की गयी जो वर्तमान में विचाराधीन है एवं राजस्व मण्डल अजमेर मे उक्त प्रकरण मे मौके व रेकर्ड की यथास्थिति रखने के आदेश दिये जा चुके है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.1974 बमुकदमा सं. 97/1974 खीमसिंह बनाम मिसरिया पूर्ण रूप से विधि सम्मत रूप से अंतिम हो चुका है, जिसे पारित हुए करीब 50 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् अब प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है और न ही रेफरेंस किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र बाद म्याद प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि अनुसूचित जाति की नहीं रही है। प्रार्थीगण का यह आवेदन पद धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते रेफरेंस करने विधि एवं सिद्धान्तः पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेफरेंस म्याद बाहर होने से खारीज करने का आदेश फरमावे।

8. हमने अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं आलोच्य निर्णय एवं डिक्री तथा मूल पत्रावली का अवलोकन किया, जिससे उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा प्रकरण संख्या 97/1974 अनवान खीमसिंह

जिला कलक्टर
बालोतरा

बनाम मिसरिया निर्णय दिनांक 26.11.1974 में मौजा मवड़ी में खेत खसरा नंबर 352 रकबा 19.13 बीघा भूमि (वर्तमान में नया खसरा 265 राजस्व ग्राम निम्बेश्वर) अप्रार्थीगण के पिता खीमसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत साकिन देह खातेदारान के नाम दर्ज की गई। प्रार्थी की मुख्य आपति है कि उक्त भूमि वक्त बंदोबस्त मिसरिया पुत्र पनिया जाति भांबी के नाम पर्चा लगान जारी हुआ एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 की पालना नहीं करते हुए सामान्य जाति के नाम खातेदार घोषित किया गया। इस हेतु प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश/डीक्री के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश करते हुए उक्त खसरा रकबा राज करने हेतु प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उक्त आदेश को निरस्त करवाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर करने हेतु निवेदन किया गया है। इस संबंध में पत्रावली के संलग्न दस्तावेज में खतौनी में खसरा संख्या 352 मिसरीया वल्द पीनया कौम भांभी के नाम होना बतया गया। अप्रार्थीगण के पिता खीमसिंह बनाम लालसिंह जाति राजपूत द्वारा एक राजस्व वाद सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो वाद संख्या 97/1974 दर्ज हुआ तथा दिनांक 26.11.1974 को अप्रार्थीगण के पिता खिमसिंह पुत्र लाल सिंह जाति राजपूत के नाम खातेदारी दर्ज हुई। उपरोक्त वाद सामान्य जाति से है व प्रतिवादी अनुसूचित जाति का सदस्य है। इस कारण निर्णय व डिक्री धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार शून्य निष्प्रभावी होने के कारण यह रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जाना न्याय सम्मत है। अप्रार्थीगण के पिता की ओर से वादग्रस्त भूमि पर सन 1974 में अपने स्वामित्व के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा कार्यालय तहसीलदार सिवाना के पत्रांक 587 दिनांक 13.11.2025 में उक्त भूमि वक्त सेटलमेंण्ट के खसरा नंबर 352 रकबा 20.16 बीघा मिसरीया पुत्र पनीया कौम मेघवंशी के नाम दर्ज थी, व प्रकरण संख्या 97/74 में निर्णय दिनांक 26.11.1974 की पालना में म्युटेशन संख्या 227 भरा गया, जिसमें रकबा 19.13 बीघा भूमि खीमसिंह वगैरा के नाम दर्ज हुई तथा शेष भूमि रकबा 1.03 बीघा भूमि खातेदार मिसरीया पुत्र पनीया जाति मेघवाल के नाम रही, होना बताया गया तथा उक्त खसरा पर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के स्थगन आदेश के प्रभावी होने के कारण उक्त प्रकरण के निस्तारण के पश्चात रैफरेंस किया जाना उचित है, होना बताया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया गया कि आलौच्य निर्णय व डिक्री राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (ख) के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है तथा यह भी प्रकट किया कि इस हेतु मयाद की बाधा नहीं है तथा धारा 232 में कोई समय सीमा

जिला कलक्टर
बालोतरा

का उपबधं नहीं है। इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा न्यायिक निर्णय नजीर में यह निर्धारित किया गया है कि रेफरेंस समुचित समय में पेश हो तथा धारा 232 में रेफरेंस 50 वर्ष की असाधारण देरी से प्रस्तुत किया है, जो उचित नहीं है। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक निर्णय नजीरों में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा समस्त विधिक बिन्दुओं की स्थिति पर विस्तृत व्याख्या कर विवेचन दिया गया है कि उपरोक्त वाद में वादी सामान्य जाति से है व प्रतिवादी अनुसूचित जाति का सदस्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि स्वर्ण/सामान्य जाति के व्यक्तियों को बेचान, दान, वसीयत इत्यादि द्वारा हस्तान्तरित नहीं की जा सकती हैं और ना ही न्यायालय द्वारा उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध डिक्री पारित कर स्वर्ण/सामान्य जाति के व्यक्तियों को खातेदार घोषित किया जा सकता। साथ ही धारा 232 में कोई समय सीमा का उपबंध नहीं होना अभिनिर्धारित किया गया है। इस प्रकार उक्त निर्णय के तथ्य हस्तगत प्रकरण द्वारा निर्धारित अभिमत के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेंस आवेदन पत्र अंतिम निश्चय हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किया जाना उचित है, क्योंकि उक्त वाद में स्वामित्व के संबंध में कोई ठोस आधार एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार हमारे विनम्र अभिमत अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि की अवैध तरीके से बिना किसी स्वामित्व साक्ष्यों के अप्रार्थीगण के पिता के हक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैध निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसे इस रेफरेंस आवेदन पत्र के द्वारा निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त रेफरेंस प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वाद संख्या 97/1974 निर्णय दिनांक 26.11.1974 को निरस्त करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किया जाता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष दिनांक 18.03.2026 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

10. आदेश आज दिनांक 18.02.2026 को सुनाया गया।

(… कुमार)
जिला कलक्टर
जिला बालोतरा बालोतरा